न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सीन अधिकारी:-अनिल कुमार चौधरी (आर०ए०एस०)

मु०न०	ता०रजू	निर्णय दिनांक
[illegible]0 / 2022	30.05.2022	10/6/2024

1. कालूराम पुत्र हरिराम उम्र 72 वर्ष जाति मीना पेशा काश्तकारी निवासी दुब्बी बिदरखां तहसील सवाई माधोपुर

प्रार्थी

बनाम

ना सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित:—

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा प्रार्थी की और से।

:— निर्णय —:

प्रार्थीगण ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट का पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कियह कि प्रार्थी राजस्व ग्राम दुब्बी बिदरखां तहसील सवाई माधोपुरका मूल निवासी होने के साथ–साथ काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं। प्रार्थी भूमिहीन होने के कारण साविक खसरा नं0 869 रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा में से 5 बीघा कृषि भूमि दिनांक 15.01.83 को आवंटन हुई थी, तत्पश्चात् दिनांक 06.06.01 को नामान्तकरण संख्या 87 के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण स्वीकार हुआ था। नामान्तकरण व आवंशन आदेश की प्रमाणित प्रति मय ट्रेसशीट के साथ संलग्न है। वर्तमान में भू प्रबन्ध विभाग ने सम्पूर्ण तहसील का नवीन रिकॉर्ड तैयार किया है। भू प्रबन्ध विभाग ने साविक ट्रेस शीट के अनुसार हाल नवीन खसरा नम्बर की तरमीम नहीं की है। भूप्रबन्ध हाल नवीन खसरा नं0 808/1782 रकबा 1.26है० प्रार्थी के खतौनी मय मिलान खसरा नम्बर सहित प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी 04.2022 को पटवारी हल्का को लेकर मौके पर सीमाज्ञान हेतु हाल खसरा नं0 808/ रकबा 1.26 पर. है० में मौके पर 0.73 है0 पर ही भौतिक कब्जा है। प्रार्थी ने हाल खसरा नम्बर 808/1686, 808/1782 का मौका पर एक ही चक 5 बीधा का बना रखा है। इसलिये प्रार्थी मुताविक कब्जा दुरूस्ती इन्द्राज करवाना चाहता है। मुताबिक कब्जा दुरूस्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Damo
Date: 2025.09.12 14:03:
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

राज किये जाने से सरकार का हित भी प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि प्रार्थी के नाम से दर्ज हाल खसरा नं० 808/1782 रकबा 1.26 है0 में से 0.53 है भूमि पुनः सिवायचक दर्ज किये जाने से प्रार्थी को किसी तरह की आपत्ति भी नहीं है। अतः श्रीमान जी राजस्व गांव दुब्बी बिदरखाँ तहसील सवाई माधोपुर में स्थित साविक खसरा नम्बर 869 रकबा 5 बीघा में हाल नवीन खसरा नम्बर 808/1686 रकबा 0.53 हैक्0, खसरा नम्बर 808/1782 रकबा 1.26 हैक्0 मे से प्रार्थी के कब्जे की मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक कब्जा हाल खसरा नम्बर 808/1686 रकबा 0.53 हैक्0 सिवायचक के बजाय खातेदारी में दर्ज किये जाने एवं प्रार्थी के नाम दर्ज खसरा नम्बर 808/1782 रकबा 1.26 हैक्0 मे से रकबा 0.53 हैक्0 सिवायचक दर्ज किया जाकर मुताबिक कब्जा दुरूस्ती की जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलबी की गयी। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मद नं. 01 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, वह स्वीकार है मद नं.02 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है वह आंशिक रूप से स्वीकार है प्रार्थी की ग्राम दुब्बी बिदरखां में आराजी ख0न0 808/1782 रकबा 1.26 है0 के है अतिरिक्त खाता सं0 13 रकबा 0.54, 14 रकबा 0.79, 69 रकबा 0.52, 70 रकबा 0.06, 71 रकबा 0.10, 243 रकबा 0.02 कुल खाते 6 रकबा 2.03 है0 खातेदारी भूमि है। मद नं03 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है अस्वीकार है क्योंकि दौराने भू प्रबंध अधिकारी आराजी ख0न0 808/1782 रकबा 1.26 है0 भू प्रबंध ने नवीन नक्शा तरमीम कर तहरीर किया हुआ है। मद सं04 से 11 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है अस्वीकार है। विशेष विवरण में अंकित किया है कि ग्राम दुब्बी बिदरखां के साविक ख0न0 869 रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा में से मुताबिक आवंटन आदेश दिनांक 15.01.1983 आवंटित होकर नामान्तरण सं0 437 दिनांक 15.01.1983 को कालूराम पुत्र हरिराम मीना सा0 देह के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई तत्पश्चात नामा0 सं0 87 दिनांक 06.06.2001 से गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुई। उक्त आराजियात ख0न0 869 रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा के नवीन ख0न0 808/1781 रकबा 1.26 है0, 808/1782 रकबा 1.26 है0, 808/1783 रकबा 0.51, 808/1784 रकबा 1.26 है0, 808/1785 रकबा 1.26 है0, 808/1787 रकबा 1.72 है0 कुल किता 6 रकबा 7.27 है0 बनाये गये किता ख0न0 808/1782 रकबा 1.26 है0 किस्म ब वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2073–76 जमाबंदी (2020) से स्थाई के खाता संख्या 15 में कालूराम पुत्र हरिराम जाति मीना सा0 देह राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सूरवाल के नाम से खातेदारी हक में दर्ज रिकार्ड है। वादी कालूराम मुताबिक अपने वाद पत्र के बिंदु संख्या 4 व 5 के तथा मौके व रिकार्ड की जांच

Signature Not Verifie
Digitally signed by Damod
Date: 2025.09.12 14:03:2
Reason: SelfAttested

अनुसार आराजी खसरा नंबर 808/1782 रकबा 1.26 है0 जो कि स्वयं की खातेदारी मे है पर प्रार्थी का वर्तमान मे कोई कब्जा काश्त नही है तथा भूमि मौके पर खाली पडी है। उक्त आराजी के प्रार्थी ने आराजी ख0नं0 808/1686 रकबा 0.53 सिवायचक भूमि से 0.50 है0 भूमि पर जिसमे से 0.03 है0 भूमि मे होकर रास्ता निकलता है तथा गै0मु0 रस्ता ख0नं0 869 से जुडा हुआ है। इसी प्रकार आराजी ख0नं0 870 रकबा 0.20 है0 सिवायचक भूमि कुल किता 2 रकबा 0.70 है0 भूमि पर कब्जा काश्त किया हुआ है। आराजी ख0नं0 808/1782 रकबा 1.26 है भूमि राज्य सरकार को समर्पित कर सिवायचक दर्ज करना व इसके एवज (बदले) मे आराजी ख0नं0 808/1686 रकबा 0.50, ख0नं0 870 रकबा 0.20 किता 2 रकबा 0.70 है0 खातेदारी दर्ज कराना तथा ख0नं0 808/1782 रकबा 1.26 है0 में से रकबा 0.56 है0 यथावत खातेदारी मे कुल रकबा 0.700.56=1.26 है0 रखना चाहता है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी सम्वत् 2044 से 2047 की खाता सं0 108 ग्राम दुब्बी, आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय आदेश एवं कब्जा रिपोर्ट दिनांक 15.01.1983, गैर खातेदारी नामा0 संख्या 436 दिनांक 15.01.1983, नामान्तरण संख्या 87 दिनांक 06.06.2001 गै0 खातेदारी से खातेदारी, मिलान खसरा नंबर, हाला खतोनी खाता संख्या 229, हाल जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 की खाता संख्या 15 व एक की, हाल ट्रेस नजरी शीट की प्रतियॉं संलग्न की है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सूनी। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुऐ बताया हे कि प्रार्थी की खातेदारी राजस्व ग्राम दुब्बी बिदरखॉं तहसील सवाई माधोपुर में स्थित साविक खसरा नम्बर 869 रकबा 5 बीघा एवं हाल नदीन खसरा नम्बर 808/1686 रकबा 0.53 हैक्0, खसरा नम्बर 808/1782 रकबा 1.26 हैक्0 स्थित है। प्रार्थी का खसरा नम्बर 808/1686 रकबा 0.83 हैक्0 सिवायचक पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 808/1782 रकबा 1.26 हैक्0 मे से 0.53 हैक्0 को सिवायचक एवं खसरा नम्बर 808/1686 रकबा 0.53 हैक्0 को खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सूनी। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी उक्त प्रकरण में साविक खसरा नम्बर 869 रकबा 5 बीघा एवं हाल नदीन खसरा नम्बर 808/1686 रकबा 0.53 हैक्0, खसरा नम्बर 808/1782 रकबा 1.26 हैक्0 स्थित है। प्रार्थी का खसरा नम्बर 808/1686 रकबा 0.83 हैक्0 सिवायचक पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 808/1782 रकबा 1.26 हैक्0 में से 0.53 हैक्0 को सिवायचक एवं खसरा नम्बर 808/1686 रकबा 0.53 हैक्0 को खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damoda
Date: 2025.09.12 14:03:24
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने हेतु घोषणा करवाना चाहता है जबकि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानानुसार केवल राजस्व रिकार्ड के अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जा सकती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एलआर एक्ट 1956 की धारा 136 के अंतर्गत नही आता है। परन्तु प्रार्थी ने उक्त प्रकरण धारा 136 एलआरएक्ट में पेश किया गया जो सही नही है क्योकि धारा 136 एलआरएक्ट का दायरा छोटा होता है। उक्त प्रकरण को गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण के आधार पर ही इन्द्राज दुरूस्ती व खातेदारी की घोषणा की जा सकती है। परन्तु प्रार्थी ने उक्त प्रकरण धारा 136 एलआरएक्ट में पेश किया जो सही नही है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नही होता है। अतः प्रार्थीगण वाद दायर कर उक्त प्रकरण में अनुतोष प्राप्त कर सकता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10/06/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.12 14:03:24 IST
Reason: SelfAttested